राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

राम निवास वगैरा। बनाम् राजस्थान राजस्व मण्डल वगैरा।

(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-439 / 1999)

19-10-2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री निर्मल कुमार मालू, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।

प्रतिपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रार्थीगण ने इस रिट याचिका में राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक-9.2.1998 को चुनौती दी है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मालू ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण 30 स्टेण्डर्ड भूमि अपने पास रखने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की ग्राम-देईखेड़ा व पावदा ग्राम में कुल 72 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें से 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि नहर में चली गई है। जिलाधीश, बून्दी ने आदेश दिनांक- 12.8.1985 में यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि प्रार्थीगण के पास 29.73 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि रहती है, जिसमें से 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि नहर में चली गई है। जिलाधीश, बून्दी ने अपने उक्त आदेश में यह माना है कि प्रार्थीगण 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अपने पास रखने के अधिकारी है और प्रार्थीगण ने बून्दी जिले की 72 बीघा 18 बिस्वा भूमि को अपने पास रखना कथित किया है, किन्तु इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि क्या प्रार्थीगण की 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि नहर में चले जाने के उपरान्त प्रार्थीगण के पास 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि शेष

रह जाती है?

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी तर्क दिया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा ने अपने निर्णय दिनांक-9.4.1987 व राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्णय दिनांक- 9.2.1998 में इस विधिक बिन्दू को सही रूप से विवेचित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आक्षेपित निष्कर्षों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह भी तर्क है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की गणना भूमि वर्गीकरण प्रावधानों के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी जैसा कि इस न्यायालय की खण्डपीठ ने **राम प्रताप वगैरा बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।** (1988(2)RLR page 520) न्यायिक दृष्टान्त में निर्दिष्ट किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

राजस्व मण्डल ने आक्षेपित आदेश दिनांक-9.2.1998 की मद संख्या-6 में निम्न मत अभिव्यक्त किया है:-

> "यह सिलिंग प्रकरण वर्ष 1971 से जैरकार है एवं प्रार्थी द्वारा समय समय पर आदेशों की अपील करने पर प्रकरण पुन: प्रेषित किया जाता रहा है एवं विस्तृत जाँच की गई है इसलिए अभिभाषक प्रार्थी का तर्क कि जिलाधीश को सिलिंग प्रकरण निर्धारण करने का अधिकार नहीं था, मान्य नहीं है। उनका यह तर्क कि स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि की किस्म के अनुसार बनाये जाने चाहिए थे, ना कि सिंचाई क्षमता के अनुसार, यह भी कोई महत्व नहीं

रखता।"

मैं, इस निश्चित मत का हूं कि राजस्व मण्डल ने उक्त मत अभिव्यक्त करते समय राम प्रताप वगैरा बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।(उपरोक्त उद्वत) प्रकरण में इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिए गये निर्देशों को उपेक्षित रखा है ।अत: मेरे मत में यह ऐसा प्रकरण है जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधान आकर्षित होते हैं।

परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। राजस्व मण्डल,अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक-9.2.1998 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राम प्रताप वगैरा बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा। (उपरोक्त उद्वत) प्रकरण में इस न्यायालय की खण्डपीठ ने जो निर्देश दिए हैं उन पर विचार करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करेगा। राजस्व मण्डल नया आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर भी विचार करेगा कि जो प्रार्थीगण की भूमि 4 बीघा 9 बिस्वा नहर में चली गई है क्या उसकी गणना 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी अथवा नहीं? राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित करने तक विवादित भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखी जावेगी। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष दिनाक-20.11.2006 को उपस्थित होगें। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)